

आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी सं. 1 हाजिर आये। पत्रावली का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया कृष्णा देवी पुत्री साहबराम पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन संघर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए साहबराम पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा व अन्य के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 28 एसटीजी-बी के प.नं. 35/323 (20) किला नं. 1/1, 2, 3/1, 8, 9, 10/1, 11 ता 14, 17/2, 18 ता 20 की 2.859 है., प.नं. 35/324 (31) किला नं. 1 ता 4, 9/2 की 1.050 है. कुल 3.909 है. नाली द्वितीय अनकमांड खातेदारी, चक 2 एनआर के प.नं. 39/327 (6) किला नं. 2 ता 8 की 1.771 है. कमांड खातेदारी, 28 एसटीजी बी के प.नं. 34/324 (30) किला नं. 21/1, 22/1, 23 ता 25 की कुल 1.012 है. नाली द्वितीय मय खाला खातेदारी, चक 28 एसटीजी बी के प.नं. 35/324 (31) किला नं. 10, 11, 20, 21 की 1.012 है. नाली द्वितीय खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 है व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 प्रार्थीया के सगी भाई बहन है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। इस संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा खीयां के नाम दर्ज थी। खीयां के फौत होने पर प्रार्थीया के पिता परिवार का मुखिया होने के कारण समस्त भूमि का नामन्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया और उक्त पैतृक कृषि भूमि की कमाई से अन्य भूमि खरीद की है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा जन्म से हक हिस्सा निहित है को प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 पाने के मुश्त हक है। इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सह अंशदायी है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया अपना 1/6 हिस्सा घोषणा करवाने की अधिकारी है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 2.3.2017 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थीया बहस एक पक्षीय सुनी तथा बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में हाने पर प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया की हद तक रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 13.3.2018 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ कि मिन अप्रार्थी के द्वारा अपनी स्वयं की मेहनत से वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि चक 28 एसटीजी के प. नं. 35/324 के किला नं. 10 ता 12, 21



01/02/2022
सहायक कलक्टर एवं

जरिये पंजीयन बैयनामा दिनांक 05.07.1974 को श्री बृजलाल पुत्र खीयाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.1977 को बृजलाल पुत्र खीयाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व चक 2 एनआर के प. नं. 39/327 के किला ने. 2 ता 8 की 7 बीघा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.07.1971 को निका-फुसा पिसरान रामकरण जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव से खरीद की व चक 29 एसटीजी के प. नं. 34/323 के किला ने. 23 ता 24 व प.नं. 34/324 के कि.नं. 3 ता 5 कुल 4 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.08.1970 को गुरदेव सिंह -वीर सिंह- कृपाल सिंह पिसरान सावन सिंह, भान सिंह पुत्र भूर सिंह से खरीद की जिसका बाद में चक परिवर्तन करके चक 28 एसटीजी हो गया है। उक्त खरीदशुदा रकबा का मिन अप्रार्थी के द्वारा एक विनियम हरविन्द्र सिंह के साथ दिनांक 07.01.2004 को हुआ जिसमें मिन अप्रार्थी के द्वारा प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प. नं. 34/324 के किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.012 हैक्टेयर को तबादला में हरविन्द्र सिंह को देकर उसके बदले चक 28 एसटीजी-बी के प. नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 हैक्टेयर भूमि को खरीद किया। इस प्रकार मिन अप्रार्थी की उक्त रकबा स्वयं का खरीदशुदा है, शेष बचा 2.859 रकबा जो अप्रार्थी को पैतृक में प्राप्त हुआ था जिसकी मेहनत से उक्त रकबा की सार संभाल की। प्रार्थीया के द्वारा उक्त खरीद रकबा में किसी प्रकार का मिन अप्रार्थी को सहयोग नहीं किया इसलिए प्रार्थीया उक्त वर्णित रकबा में किसी प्रकार का हक व हिस्सा व घोषणा पाने की अधिकारिनी है। मिन अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की भादी में काफी धन दहेज देकर उनके हको की हक राशि पूर्व में अदा कर चुका है और वे अपने-अपने ससुराल में हुआ है। मिन अप्रार्थी से किसी प्रकार की कोई घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है। उक्त रकबा प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित है, खरीदशुदा रकबा है, 2.859 हैक्टेयर ही पैतृक है। अप्रार्थी को चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/323 की 2.807 हैक्टेयर भूमि अपने पिता खीयाराम से प्राप्त हुई थी। दिनांक 20.05.2019 को अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीया सं. 5 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन


20/01/2022
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जरिये पंजीयन बैयनामा दिनांक 05.07.1974 को श्री बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.1977 को बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व चक 2 एनआर के प. नं. 39/327 के किला ने. 2 ता 8 की 7 बीघा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.07.1971 को निका-फुसा पिसरान रामकरण जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव से खरीद की व चक 29 एसटीजी के प. नं. 34/323 के किला ने. 23 ता 24 व प.नं. 34/324 के कि.नं. 3 ता 5 कुल 4 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.08.1970 को गुरदेव सिंह -वीर सिंह- कृपाल सिंह पिसरान सावन सिंह, भान सिंह पुत्र भूर सिंह से खरीद की जिसका बाद में चक परिवर्तन करके चक 28 एसटीजी हो गया है। उक्त खरीदशुदा रकबा का मिन अप्रार्थी के द्वारा एक विनियम हरविन्द्र सिंह के साथ दिनांक 07.01.2004 को हुआ जिसमें मिन अप्रार्थी के द्वारा प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प. नं. 34/324 के किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.012 हैक्टेयर को तबादला में हरविन्द्र सिंह को देकर उसके बदले चक 28 एसटीजी-बी के प. नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 हैक्टेयर भूमि को खरीद किया। इस प्रकार मिन अप्रार्थी की उक्त रकबा स्वयं का खरीदशुदा है, शेष बचा 2.859 रकबा जो अप्रार्थी को पैतृक में प्राप्त हुआ था जिसकी मेहनत से उक्त रकबा की सार संभाल की। प्रार्थीया के द्वारा उक्त खरीद रकबा में किसी प्रकार का मिन अप्रार्थी को सहयोग नहीं किया इसलिए प्रार्थीया उक्त वर्णित रकबा में किसी प्रकार का हक व हिस्सा व घोषणा पाने की अधिकारिनी है। मिन अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की भादी में काफी धन दहेज देकर उनके हको की हक राशि पूर्व में अदा कर चुका है और वे अपने-अपने ससुराल में हुआ है। मिन अप्रार्थी से किसी प्रकार की कोई घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है। उक्त रकबा प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित है, खरीदशुदा रकबा है, 2.859 हैक्टेयर ही पैतृक है। अप्रार्थी को चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/323 की 2.807 हैक्टेयर भूमि अपने पिता खीयांराम से प्राप्त हुई थी। दिनांक 20.05.2019 को अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीया सं. 5 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन

01/02/2020
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है कि चक 28 एसटीजी-बी के प. नं. 35/232 (20) किला नं. 1/2, 2, 3/1, 8, 9, 10/1 11 ता 14 17/2 18 ता 20 की 2.859 हैक्टेयर प. नं. 35/324 (31) किला नं. 1 ता 4, 9/2 की 1.050 हैक्टेयर कुल 3.909 हैक्टेयर नाली द्वितीय अनकमांड खातेदारी भूमि अप्रार्थीया के दादा खीयां के नाम थी जो खीयां के फौत होने पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम विरास्तन औद हुई । उक्त भूमि की कमाई से चक 2 एसजीआर व 28 एसटीजी-बी की अन्य भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने अर्जित कर अपने नाम करवाई। इस प्रकार उक्त समस्त भूमि में अप्रार्थीया सं. 5 का 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि को प्रार्थीया सं. द्वारा रहन बैय या अन्तरण नहीं किया जावे। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।


अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा दिनांक 22.2.2021 व अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा दिनांक 22.3.2021 को जवाब पेश किया कि प्रार्थना-पत्र की दफा 3 अविधिक असत्य व मनघड़न्त होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वयं की मेहनत से वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि चक 28 एसटीजी के प. नं. 35/324 के किला नं. 10 ता 12, 21 जरिये पंजीयन बैयनामा दिनांक 05.07.1974 को श्री बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.1977 को बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व चक 2 एनआर के प. नं. 39/327 के किला ने. 2 ता 8 की 7 बीघा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.07.1971 को निका-फुसा पिसरान रामकरण जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव से खरीद की व चक 29 एसटीजी के प. नं. 34/323 के किला ने. 23, 24 प.नं. 34/324 कि.नं. 3 ता 5 कुल 5 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.08.1970 को गुरदेव सिंह -वीर सिंह- कृपाल सिंह पिसरान सावन सिंह, भान सिंह पुत्र भूर सिंह से खरीद की जिसका बाद में चक परिवर्तन करके चक 28 एसटीजी हो गया है। उक्त खरीदशुदा रकबा का अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा एक विनियम हरविन्द्र सिंह के साथ दिनांक 07.01.2004 को हुआ जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प. नं. 34/323 व प.नं. 34/324 की 1.012 हैक्टेयर को तबादला में हरविन्द्र सिंह को देकर उसके बदले चक 28 एसटीजी-बी के प. नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 हैक्टेयर भूमि को खरीद किया।


01/02/2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इस प्रकार मिन अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त रकबा स्वयं का खरीदशुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खरीद शुदा रकबा की एक वसीयत मिन अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 17.4.2020 को कर दी है जिसमें प्रार्थीया के पिता द्वारा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की शादी में काफी दान दहेज देकर उनके हकों की हक राशि अदा कर दी है। इसलिए प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 मिन अप्रार्थी संख्या 2 की वसीयतशुदा भूमि में से किसी प्रकार की घोषणा पाने की अधिकारी नहीं है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया। बतौर साक्ष्य वसीयतनामा दिनांक 17.4.2017 जो साहबराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 दुलीचन्द के हक में किया गया है की प्रति पेश की। वसीयतनामा का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.4.2017 को पंजीकृत वसीयतनामा साहबराम पुत्र खीयाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव द्वारा दुलीचन्द पुत्र साहबराम के हक में किया गया है कि बदुरुसती होश हवाश स्वाते अकल अपनी खुशी व रजामंदी व बिना किसी नशा पता व बिना दवाब व बहकाव एवं पूर्ण स्वस्थचित से अपनी स्वतंत्र सहमति से अपनी स्वयं खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 95/92 के प. नं. 35/323 (20) के किला नं. 17/2/.025, 18/.025 प. नं. 34/324 (30) के किला नं. 21/1 ता 25 की 1.012 हैक्टेयर प. नं. 35/324 (31) के किला नं. 1 ता 4, 9/2, 10, 11, 20, 21 की 2.062 हैक्टेयर कुल तादादी 3.124 हैक्टेयर नाली द्वितीय म. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक नं. 2 एनआर के खाता सं. 28 के प. नं. 39/327 (6) के किला नं. 2 ता 8 की 1.771 हैक्टेयर कमांड खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत स्नेहवश अपने पुत्र बदस्त दुलीचन्द पुत्र श्री साहबराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के हक में की गई है।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश होने पर अप्रार्थी सं. 1 साहबराम का नाम कलमजन किया जाकर अप्रार्थी सं. 8 के तौर पर माया पत्नी साहबराम को संशोधित करने के आदेश पारित हुए हैं। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.3.2021 को जवाब पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराया। स्टेट जवाब पेश हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 25.11.2021 को बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया। जवाब व दस्तावेजों के मुताबिक वादपत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/324 के


01/02/2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 10 ता 12, 21 जरिये पंजीयन बैयनामा दिनांक 05.07.1974 को श्री बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.1977 को बृजलाल पुत्र खीयांराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा से खरीद की व चक 2 एनआर के प.नं. 39/327 के किला नं. 2 ता 8 की 7 बीघा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.07.1971 को निका-फुसा पि. रामकरण जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव से खरीद की व चक 29 एसटीजी के प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प.नं. 34/324 के किला नं. 3 ता 5 कुल 4 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.08.1970 को गुरदेव सिंह-वीर सिंह-कृपालसिंह पि. सावन सिंह, भान सिंह पुत्र भूर सिंह से अप्रार्थी संख्या 1 साहबराम ने खरीद की जिसका बाद में चक परिवर्तन करके चक 28 एसटीजी हो गया। उक्त खरीदशुदा रकबा का मिन अप्रार्थी के द्वारा एक विनिमय हरविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह के साथ दिनांक 07.01.2004 को हुआ जिसमें मिन अप्रार्थी के द्वारा प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प.नं. 34/324 के किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.012 है। को तबादला में हरविन्द्र सिंह को देकर उसके बदले चक 28 एसटीजी बी के प.नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 है। भूमि को खरीद किया। इस प्रकार मिन अप्रार्थी की उक्त रकबा स्वयं का खरीदशुदा है, साबित पंजीयन दस्तावेज होता है। शेष बचा चक 28 एस.टी.जी. के प.नं. 35/323 का 2.859 है। रकबा जो अप्रार्थी को पैतृक में प्राप्त हुआ था जिसकी मेहनत से उक्त रकबा की सार संभाल की। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य वसीयतनामा द्वारा साहबराम बनाम दुलीचन्द पुत्र साहबराम दिनांक 17.04.2017 का अवलोकन किया। वसीयत दस्तावेज के अनुसार साहबराम ने अपने जीवनकाल में चक 28 एसटीजी बी प.नं. 35/323 के किला नं. 17/2/0.025, 18/0.025, प.नं. 34/324 किला नं. 21/1 ता 25, 35/324 किला नं. 1 ता 4, 9/2, 10, 11, 20, 21 कुल 3.124 है। व चक 2 एनआर प.नं. 39/327 किला नं. 2 ता 8 की 1.771 है। कुल योग 4.895 है। कृषि भूमि की वसीयत अपने पुत्र दुलीचन्द के नाम से करनी पाई गई है, साबित दस्तावेज होना पाया जाता है।

दिनांक 25.11.2021 को वकील उभयपक्ष हाजिर आये। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08.12.2021 को रखी गई। दिनांक 08.12.2021 को प्रशासनिक कार्यों की अधिकता के कारण फैसला नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 27.12.2021 को रखी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित


2022/01/02
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तथ्यों को दोहराते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में होने के कारण अस्थायी निशेधाज्ञा ताफैसला वाद स्थायी करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में वकील प्रार्थीया ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 2820/2015 अनवान कृपालकौर बनाम जितेन्द्रपाल सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2015, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की अपील संख्या 98/1982 अनवान चानणरानी बनाम सरदार नानकसिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2013 व अन्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 3867/2014 अनवान केशरबाई बनाम ताराबाई नलावडे व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.3.2014 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2015 वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में माननीय सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील सं. 5740-5741/2015 त्रिजुगी नारायण बनाम सन्कू के दृष्टांत पेश किये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वमान वकीलों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के दृष्टांतों पर सम्मान मनन किया गया। इस प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दृष्टान्त विचारणीय प्रकरण में चस्पा होने नहीं पाये जाते हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा पेश दृष्टान्त से हम सहमत हैं अतः रिकार्ड पर लिये गये। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 8 के पति साहबराम पुत्र खीयाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा द्वारा स्वअर्जित सम्पति होने के कारण चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/324 के किला नं. 10 ता 12, 21 व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि व चक 2 एनआर के प.नं. 39/327 के किला नं. 2 ता 8 की 7 बीघा व चक 29 एसटीजी के प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प.नं. 34/324 के किला नं. 3 ता 5 कुल 4 बीघा भूमि जिसका बाद में चक परिवर्तन करके चक 28 एसटीजी हो गया। उक्त खरीदशुदा रकबा का अप्रार्थी के द्वारा एक विनिमय हरविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह के साथ दिनांक 07.01.2004 को हुआ जिसमें अप्रार्थी के द्वारा प.नं. 34/323 के किला नं. 23, 24, प.नं. 34/324 के किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.012 है। को तबादला में हरविन्द्र सिंह को देकर उसके बदले चक 28 एसटीजी बी के प. नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 है। भूमि को खरीद किया। इस प्रकार अप्रार्थी की उक्त रकबा स्वयं का खरीदशुदा है, इस पर प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। शेष बचा 2.859 है। रकबा जो अप्रार्थी को पैतृक में प्राप्त हुआ था। इस कारण प्रार्थीया का हक व हिस्सा नहीं बनता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व अप्रार्थीगण

20/10/2022
 सहायक क्लर्क एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्रों व साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन व मनन किया। साक्ष्य दस्तावेजों के अनुसार चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/324 के किला नं. 10 ता 12, 21 व इसी पत्थर 35/324 के किला नं. 1 ता 4, 9 कुल 4.07 बीघा भूमि व चक 2 एनआर के प.नं. 39/327 के किला नं. 2 ता 8 की 7 बीघा व चक 28 एसटीजी बी के प.नं. 34/324 के किला नं. 21, 22, 23 ता 25 की 1.012 है। भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 साहबराम ने खरीद किया। इस प्रकार उक्त भूमि साहबराम की स्वअर्जित सम्पत्ति सिद्ध होती है और साहबराम की वसीयत दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 दुलीचन्द जो कि साहबराम पुत्र खीयाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा का पुत्र है, की हक हकूक की भूमि है। **शुद्ध** बचा चक 28 एस.टी.जी. के प.नं. 35/323 का 2.859 है। रकबा जो अप्रार्थी को पैतृक में प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रार्थीया 1/6 हिस्सा की हकदार है। अतः समस्त दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों और मा० न्यायालय के दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीपक्ष के पक्ष में होने पर दिनांक 2.3.2017 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में से विरासतन भूमि चक 28 एसटीजी के प.नं. 35/323 के कि.नं. 1/1, 2, 3/1, 8, 9, 10/1, 11 ता 14, 17/2, 18 ता 20 कुल 2.859 हैक्टेयर में से प्रार्थीया की हद तक रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नहीं करने बाबत संशोधित निषेधाज्ञा ताफैसला जारी की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


7/01/02/2022
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा